

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.12(1)(1)चुनाव/विविध/अभि./18/ 4594-640 दिनांक: 9.4.2019
प्रेषित:-

समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषय:- लोकसभा आम चुनाव, 2019-आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की
पालना बाबत।

सन्दर्भ:-गृह (ग्रुप-6) विभाग का पत्र क्रमांक: प. 17(1)गृह-6/2019 दिनांक 19.
03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र गृह (ग्रुप-6) विभाग का पत्र
क्रमांक: प. 17(1)गृह-6/2019 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्रों
की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि लोकसभा आम चुनाव, 2019 -आदर्श
आचार संहिता में सरकारी वेबसाइटों से राजनैतिक व्यक्तियों के फोटों एवं संदर्भ हटाने
तथा सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन
पर निषेध के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उक्त निर्देशों की पालना
करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(महेन्द्र कुमार)

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग का पत्र क्रमांक: प.
17(1)गृह-6/2019 दिनांक 19.03.2019 के क्रम में।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर।